न्यायालय उपजिलाधिकारी मड़ियाहूँ

वाद संख्या 10 /धारा–143 ज0वि0अ0

मौजा–चौर, परगना व तहसील–मड़ियाहूँ

मां सरस्वती महाविद्यालय दमोदरा बनाम गाँव सभा

आदेश

माँ सरस्वती महाविद्यालय दमोदरा प्रबन्धक डा0 चन्द्रेश कुमार सिंह निवासी मौजा–दमोदरा धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि मौजा–चौर में स्थित गाटा सं0 484/1.619 हे0 में से 1.349 हे0 का वह भूमिधर काबिज दाखिल है। वह माँ सरस्वती महाविद्यालय दमोदरा के नाम क्रय किया है जिसमें विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए कई कमरों का निर्माण कराया है एवं बाउन्ड्रीवाल के जरिए भूमि को सुरक्षित किया गया है। भूमि पूर्णरुप से आबादी कर सकल में है। कृषि कार्य नही किया जाता है अन्त में आ0 नि0 को अकृषिक घोषित करने की याचना किया है।

मैनें वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उद्धरण खतौनी 1416–1421 फसली खसरा एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक–24.08.2011 का अवलोकन किया। तहसीलदार की आख्या अनुसार आ0नि0 484/1.619 हे0 मे से 1.349 हे0 माँ सरस्वती महाविद्यालय दमोदरा प्रबन्धक डा0 चन्द्रेश कुमार सिंह के नाम अंकित है। जिस पर उक्त विद्यालय का भवन एवं परिसर स्थित है उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाता। शैक्षिक कार्य में प्रयोग की जा रही है। धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक–24.08.2011 से सहमत होते हुए मौजा–चौर में स्थित गाटा संख्या 484/1.619 हे0 में से 1.349 हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

ह0 20.9.11

उपजिलाधिकारी
मड़ियाहूँ

25536
27-5-15
29.5.15

29/5/15

माँ सरस्वती महाविद्यालय
दमोदरा, जौनपुर